न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 125/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. जीतराम पुत्र सुलतान जाति जाट
2. रणसिंह पुत्र सुलतान जाति जाट
3. धून्धा स्त्री सुलतान जाति जाट निवासीयान कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान
4. बिमला स्त्री रामेश्वर पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी बिलासपुर तहसील पटौदी जिला गुडगांव हरियाणा
5. संतोष स्त्री सूबेसिंह पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी निवासी थ्बलासपुर तहसील पटौदी जिला गुडगांवा हरियाणा
6. शीला उर्फ सुशीला स्त्री दुर्गेश पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी महेशरी तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा
7. सरबत पुत्री चुन्ना स्त्री करणसिंह जाति जाट
8. ग्यारसी पुत्री चुन्ना स्त्री दलेल जाति जाट निवासीयान मउ तहसील पटौदी जिला रेवाडी हरियाणा

:----- अपीलांटान

बनाम

1 जगदीश पुत्र चुन्ना जाति जाट निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:--- असल रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2 राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, कोटकासिम

:---- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, कोटकासिम दिनांक 28.6.18

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री महेन्द्र यादव

निर्णय दिनांक 27.8.2019

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, कोटकासिम द्वारा राजस्व वाद पत्र संख्या 285/14 में पारित निर्णय दिनांक 28.6.2018 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त वाद प्राथमिक तौर पर डिक्री किया गया था ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 110 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, 1904 रकबा 18 बिस्वा, 1905 रकबा 16 बिस्वा किता 3 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा खाता संख्या 193, आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 12 बिस्वा, 1232 रकबा 5 बिस्वा, 1273 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, 1274 रकबा 5 बिस्वा, 1275 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, 1276 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 1277 रकबा 17 बिस्वा, 1278 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, 1920 रकबा 17 बिस्वा, 1923 रकबा 14 बिस्वा, 1924 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 2213 रकबा 16 बिस्वा, 2402 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 2410 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, 2412 रकबा 16 बिस्वा किता 16 रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा खाता संख्या 305

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

तथा खाता संख्या 307 खसरा नम्बर 1925 वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर विवादित है । विवादित आराजी वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 7 की खातेदारी की है । विवादित आराजी खाता संख्या 193 में वादी का 5/12 है तथा खाता संख्या 305 में वादी का 1/2 भाग है । आराजी का अभी बंटवारा नहीं हुआ है, अबट है । शामलात खेती करने में प्रतिवादीगण मजाहमत करते हैं । अतः वाद पत्र डिकी किया जाकर आराजी का विभाजन किया जावे । तहत न्यायालय ने उक्त वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्राथमिक तौर पर डिकी किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय हम अपीलांटान को बिना सुने पारित किया गया है । हमारी कोई तामील नहीं कराई गई है । कैम्प कोर्ट के लिये हमको नोटिस जारी नहीं किया गया । वादी रेस्पो0 द्वारा अदालत हाजा में प्रस्तुत की गई कैवियट के नोटिस हमको प्राप्त हुये, तब अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे और अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि वाद पत्र प्रतिवादीगण की तामील में विचाराधीन चल रहा था, सभी प्रतिवादीगण की तामील नहीं हुई थी, इसके बावजूद पत्रावली कैम्प कोर्ट में ले जाकर गलत तौर पर वाद पत्र डिकी कर दिया । तहत न्यायालय ने विवादित आराजी की बाबत प्रारम्भिक डिकी पारित की है । तहत न्यायालय ने दिनांक 28.6.18 की ऑर्डर शीट में दर्ज किया है कि पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई, वादी अधिवक्ता उपस्थित , वादी का वाद प्रारम्भिक डिकी किया जाता है, निर्णय पृथक से शामिल पत्रावली किया‌ए गया, तहसीलदार कोटकासिम को अहकाम जारी होकर दिनांक 16.8.18 को पेश हो । तहत पत्रावली में दिनांक 28.6.18 को कोई निर्णय संलग्न ही नहीं है । कुल कार्यवाही जल्दबाजी में और साजबाज होकर की गई है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । इनको वाद पत्र प्रत्युत्तर देने के लिये नोटिस जारी किये गये थे । तहत न्यायालय ने अभी प्राथमिक डिकी पारित की है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

इसलिये इनको अपील प्रस्तुत करने का राईट नहीं है । अगर इनको कोई आपत्ति है तो तहत न्यायालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें । अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है । अपील सारहीन है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में लिबरल व्यू अपनाया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

6 अपीलांट ने अपील में मुख्य ऐतराज यह उठाया है कि उसकी तामील कराये बिना ही अपीलाधीन डिक्री पारित कर दी । साथ ही निर्णय भी नहीं लिखाया, तहत पत्रावली में निर्णय संलग्न नहीं है । इन तर्कों के सम्बन्ध में हमने तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की ऑर्डर शीट दिनांक 28.6.18 में अंकित किया गया है कि पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई, वादी अधिवक्ता उपस्थित, वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है, निर्णय पृथक से शामिल पत्रावली किया गया, तहसीलदार कोटकासिम को अहकाम जारी होकर दिनांक 16.8.18 को पेश हो । इस ऑर्डर शीट में वादी के वकील की उपस्थिति दर्ज की है । प्रतिवादीगण उपस्थित रहे अथवा अनुपस्थित रहे, इसका अंकन नहीं किया गया है । इतना ही नहीं, इससे पूर्व की ऑर्डर शीट में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर चाहे जाने का अंकन किया हुआ है, साथ ही शेष प्रतिवादीगण की तलबी कराये जाने का भी अंकन है । ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के जवाब दावे के सम्बन्ध में आगामी ऑर्डर शीट में अंकन होना चाहिये कि उन्होंने जवाब दावा प्रस्तुत किया है अथवा नहीं, या फिर उन्होंने जवाब दावा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पुनः अवसर चाहा है अथवा नहीं । साथ ही शेष प्रतिवादीगण की तामील के सम्बन्ध में भी अंकित करना चाहिये था कि उनकी तामील हुई है अथवा नहीं । इतना ही नहीं, तहत न्यायालय ने ऑर्डर शीट दिनांक 28.6.18 में यह भी अंकित किया है कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय पृथक से पत्रावली में संलग्न किया गया, परन्तु पत्रावली में कहीं पर अपीलाधीन निर्णय संलग्न नहीं है, केवल डिक्री संलग्न है ।

7 पत्रावली प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के जवाब दावे में एवं शेष प्रतिवादीगण तलबी कराये जाने हेतु नियत चल रही थी तो ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय को शेष प्रतिवादीगण की तामील कराकर सभी प्रतिवादीगण से जवाब दावा लेकर तनकियात कायम करनी चाहिये थी । तत्पश्चात उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था । परन्तु तहत न्यायालय ने ऐसी कोई प्रकिया नहीं अपनाई । उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता हैट । लिहाजा प्रकरण रिमांड किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.6.2018 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 30.9.2019 को उपस्थित हों ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner